महत्वपूर्ण-तुरन्त

संख्या- 84/69-1-07-14(43)/07

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

19/C/S
14-1-08

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2008

विषयः विभागीय/प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति का अधिकार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2358/69-1-99-10सा/98 सी.सी. दिनांक 12 अगस्त, 1999 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूडा/डूडा में कार्यरत परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी सहित समूह ग/घ के समस्त पदों पर प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति का अधिकार निदेशक, सूडा में निहित किया जाता है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से पूर्व से ही नियुक्ति प्राधिकारी के दायित्वों का निर्वहन आपके द्वारा किया जा रहा है। अतः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पदों के नियुक्ति प्राधिकारी आप ही होगें। कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
सचिव।

महत्वपूर्ण

AD
12/1/08

36/AD
सहा० निदे० (H)
14/1/08

365/AD
स.प.अ. (अधि०)
सहायक निदेशक (H)
सूडा 15/1/08

572
15/1/08

C:\My Documents\Kanal Mohan JPG.O.doc

श्री बाजपेई
कृपया पत्रावली रखें तथा एक प्रतिलिपि का अनुपालन करा दें।